पुर शहर प्रथम

क्रम - 151/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	आज दिनांक 23/12/24 को पत्रावली पेश हुई पी.ओ.सा. अवकाश/अन्य राजकार्य पर/कंटेलेंस है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/01/25 को पेश हो।	
21.01.25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। अधिशासी अभि. 13.06.24 के अनुसार वादी के प्रतिवादी संख्या 6, 7, 9, 10 की तलबी हेतु सक्षम स्तर से नोटिस पेश कर तलबी कार्यवाही नहीं की परन्तु लगभग 06 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वादी SR प्रतिवादियों के समन के लिए सक्षम तलबी पेश नहीं की गई। वादगत इसके वादी सक्षम तलबी हेतु SR स्थायी देने में विफल रहा है। साथ ही संबंधित उपखण्ड एवं विधिक प्रतिनिधि वादी द्वारा 01/01 से 01/08 का वकालतनामा पेश किया गया। अतः वकील वादी। वादी का वाद अधि. 09 नियम 02 CPC के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली जिला कुमार विभाग जयपुर को अग्रसर की जावे।	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम